भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
17.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2909 का उत्तर

रात्रि पाली में काम करने वाली महिला रेलवे कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपाय

2909. श्री कुंदुरु रघुवीर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रात्रि पाली में कार्यरत रेलवे की महिला कर्मचारियों, जिनमें महिला लोको पायलट/सहायक लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, आरपीएफ कर्मी, टीटीई, गैंग वर्कर और अन्य परिचालन ग्राउंड स्टाफ शामिल हैं, की सुरक्षा स्थितियों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान रात्रि पाली में कार्यरत महिला रेल कर्मियों के साथ उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, सुरक्षा संबंधी खतरे/असुरक्षित कार्य स्थितियों से संबंधित कोई घटनाएं दर्ज की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे अनिवार्य एस्कॉर्ट व्यवस्था, सीसीटीवी कवरेज, जीपीएस-सक्षम चालक दल के आवागमन पर नज़र रखना, पैनिक अलर्ट सिस्टम, सुरक्षित विश्राम कक्ष और रात में पर्याप्त मात्रा में आरपीएफ महिला कर्मचारियों की तैनाती के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार जेंडर-सेंसिटिव ड्यूटी रोस्टर, समर्पित परिवहन व्यवस्था और अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल शुरू करने का विचार कर रही है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति विशेषकर उच्च जोखिम/कम कर्मचारी वाले अनुभागों में क्षेत्र-वार क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार, राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात

राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के माध्यम से रेलों में अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाने, पंजीकरण और जांच तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने आदि के लिए उत्तरदायी हैं। रेल सुरक्षा बल रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर संरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करता है।

महिला रेलवे कर्मचारियों के साथ हुए अपराधों के सभी मामलों की रिपोर्ट और पंजीकरण जीआरपी या जिला पुलिस द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार दर्ज की जाती है और उसके बाद जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाती है।

कई रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, जो निगरानी, खतरों का विश्लेषण और मामलों की जांच में सहायक है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में महिला रेलवे कर्मियों के साथ हुए अपराध भी शामिल है, जिसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड अपराध ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बहरहाल, महिला रेलवे कर्मियों के साथ हुए अपराध के आंकड़े अलग से प्रकाशित नहीं किए जाते हैं।

रेलवे स्टेशनों और रेल परिसरों में महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी और पुलिस के समन्वय से रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. रनिंग रूम में महिला कर्मचारियों के लिए अलग और प्रयोजन-विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं।
2. भेद्यता आकलन के आधार पर आरपीएफ/जीआरपी कर्मियों की तैनाती रेलवे स्टेशनों और रेलवे की अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में की जाती है।
3. रेलवे स्टेशनों में अनधिकार प्रवेश के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

4. रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए राज्य के संबंधित पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) गठित की गई हैं।

5. रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्रतिपादित किए गए रेल सेवक (कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 में रेल सेवकों के रोजगार के वर्गीकरण और कर्मचारियों को पर्याप्त आराम प्रदान करने के लिए रेल सेवकों और उनकी ड्यूटी रोस्टर तैयार करने में अपनाई जाने वाली ड्यूटी के घंटों और विश्राम की अवधि संबंधी प्रावधान भी निहित है।

*****